

## प्रेस विज्ञापि

जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय उ0प्र0 राज्य विधक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के पत्रांक संख्या-Memo/SLSA-07@2021, दिनांकित 02.04.2021 के निर्देशानुसार प्रदेश में कोविड-19 महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए दिनांक 10.04.2021 को आयोजित होने वाली लोक अदालत को स्थगित कर दिया गया है, जिसके स्थान पर उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत की अगली तिथि दिनांक 08.05.2021 नियत की गयी है। **अग्रिम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दिनांक 08.05.2021 को होगा।**

कोविड-19 महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए इससे बचाव के प्रति जागरूक होना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में विद्वान अधिवक्तागण व वादकारीगण से अपील है कि वे न्यायालय परिसर में मास्क लगाकर प्रवेश करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आवश्यक करे और सैनीटाईजर का प्रयोग करें, जिससे कोविड-19 के संक्रमण को रोका जा सके।